जयंत अच्युत साठे

बनाम

जोसफ बेन डी 'सूज़ा और अन्य

जुलाई 14,2006

[न्यायाधिपति अरिजीत पसायत और न्यायाधिपति एस.एच. कपाडिया]

अभ्यास और प्रक्रिया- प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका - उच्च न्यायालय ने कई पहलुओं पर गौर करने के लिए समितियों को नियुक्त किया-- आयोजित करने के लिए चुनौती दी गईः उच्च न्यायालय ने प्रावधानों की वैधता के मूल मुद्दे का फैसला नहीं किया - यह भी स्पष्ट नहीं है कि रिट याचिका का निपटारा किया गया था या नहीं और समिति के विचारों को कैसे लागू किया जाना था- इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे की जांच करने का निर्देश दिया-विकास नियंत्रण विनियम, 1991 विनियम 33 (7)

उत्तरदाताओं ने इसकी वैधता को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की 1999 में संशोधित विकास नियंत्रण विनियम, 1991 का विनियम 33 (7)। उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपील पर गौर करने के लिए कुछ समितियों को नियुक्त किया।

उच्च न्यायालय के निर्देश के साथ मामले को स्थगित करते हुए, न्यायालय ने आयोजित किया कि: यह स्पष्ट नहीं है कि क्या रिट याचिका का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है या नहीं । इसमें कोई विशिष्ट संकेत नहीं है ।यह भी स्पष्ट नहीं है कि नियुक्त समितियों द्वारा अपने विचार व्यक्त करने के बाद, उनके द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जानी थी और उच्च न्यायालय ने रिट याचिका में उठाए गए बुनियादी मुद्दों पर विचार नहीं किया है कि क्या 1999 संशोधित में विकास नियंत्रण विनियम, 1991 के विनियम 33 (7) में कोई कमी है। इसलिए उच्च न्यायालय को विनियमन 33 (7) को चुनौती देने और रिट याचिकाओं की स्थिरता की जांच करने का निर्देश दिया जाता है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील सं. 2970/2006

(डब्ल्यू. पी. सं. 3189/2004 में बंबई उच्च न्यायालय के दिनांकित 17.10.2005 के निर्णय और आदेश।)

के साथ

सी.ए. संख्या- 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978 और 2979/2006

आर. एफ. नरीमन, दुष्यंत दवे, सी. ए. सुंदरम, एस. भटनागर, इंद्रा ए. साहनी, एच. देवराजन, प्रशांत नारायण, पी. एन. गुप्ता, अमन वचेर, यदुनाथ चौधरी, आशुतोष दुबे, पूनम नागपाल, जे. राइस, पी. एन. पुरी, सुब्रत बिड़ला, एस. सी. बिड़ला, प्रमोद सक्सेना, जोगिन एफ. रीस, अनुराधा रुस्तगी, एस. वी. देशपांडे और गौरव अग्रवाल अपीलार्थी के लिए ।

जी. ई. वाहनवती, सॉलिसिटर जनरल अशोक एच. देसाई, एस. दीवान, के. के. सिंघवी, एम. एल. वर्मा, डॉ. ए. एम. सिंघवी, यू. यू. ललित, पल्लव शीशोदिया, रवींद्र केशवराव अदसुरे, गौतम पटेल, इंदु मल्होत्रा, सविता सिन्हा, विक्रम मेहता, शिल्पा गुप्ता, विकास मेहता, एस. एच. उज्जैनवाला, राहुल गुप्ता, नूपुर कानूनगो, भार्गव वी. देसाई, चिराग एम.

श्रॉफ, मुकेश कुमार, एम. एन. श्रॉफ, करुणा नंदी और गुडविल इंडीवर उत्तरदाताओं के लिए ।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति अरिजीत पसायत द्वारा दिया गया था।

प्रत्येक अपील में अनुमति दी गई ।

इन अपीलों में से प्रत्येक में दी गई अनुमति बॉम्बे में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय की वैधता के लिए है। तीन नागरिकों द्वारा दायर जनहित याचिका अनिवार्य रूप से विकास नियंत्रण विनियम, 1991 (संक्षेप में 'विनियम') के विनियम 33 (7) की वैधता पर सवाल उठाती है। ये विनियम 20 मार्च, 1991 से लागू हुए। रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार यह सार में महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर योजना अधिनियम, 1966 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत प्रत्यायोजित कानून है। रिट याचिकाकर्ताओं ने 1999 में लाए गए संशोधन पर सवाल उठाया, जिसमें न्यूनतम फ्लोर स्पेस इंडेक्स (संक्षेप में 'एफएसआई') के साथ-साथ मौजूदा किरायेदारों के पुनर्वास के लिए आवश्यक 2.5 प्लस अतिरिक्त एफएसआई और कई आधारों पर प्रोत्साहन एफएसआई का प्रावधान किया था।

वर्तमान अपीलार्थी ने दावे का विरोध किया।

उच्च न्यायालय ने मुख्य मुद्दे पर निर्णय लेने के बजाय विवादित निर्णय द्वारा कुछ समितियों को कई पहलुओं पर गौर करने के लिए नियुक्त किया है जो इसके अनुसार अपीलों के मूल और आवर्ती समर्थन के लिए प्रासंगिक थे, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने मूल मुद्दे पर निर्णय लेने के बजाय इस पर विचार किया है असंबद्ध मामलों ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि नियुक्त समितियों के विचारों का वास्तव में कोई परिणाम नहीं होगा और वे उन प्रावधानों की वैधता या अन्यथा पर कोई प्रकाश नहीं डालेंगे जो समितियों के विचार थे, वे न्यायालय के निर्णय का विकल्प नहीं हो सकते हैं और वास्तव में उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि नियुक्त समितियों के विचारों का क्या प्रभाव होगा और उन्हें कैसे लागू किया जाएगा। और संक्षेप में, क्या समितियाँ विवादित प्रावधानों की वैधता या अन्यथा से निपट सकती हैं, विवादित प्रावधानों की वैधता को उचित ठहराने के लिए विवरण प्रस्तुत किए गए हैं, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि उच्च न्यायालय ने एक विशिष्ट याचिका पर विचार नहीं किया कि संशोधित विनियमन 1999 से लागू हुआ और पहली बार 2004 में तीन रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई थी। उस समय तक

संशोधित प्रावधानों के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा निर्णायक प्रकृति के विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के विवादित फैसले का समर्थन किया है।

हम प्रतिद्वंद्वी विवादों के गुणों की जांच करना आवश्यक नहीं समझते हैं। शुरुआत में यह कहा जा सकता है कि यह स्पष्ट नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका का निपटारा किया गया है या नहीं । इसमें संबंध में कोई विशिष्ट संकेत नहीं है यह भी स्पष्ट नहीं है कि नियुक्त समितियों द्वारा अपने विचार व्यक्त करने के बाद, आगे की क्या कार्यवाही की जानी चाहिए और किसके द्वारा जैसा की अपीलकर्ता की विद्वान परिषद ने ठीक ही बताया है, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका में उठाए गए बुनियादी मुद्दों पर विचार नहीं किया है, यानी कि क्या संशोधित विनियमन 33 (7) में कोई कमी है। इसलिए, उच्च न्यायालय को उन मुद्दों की जांच करने के लिए निर्देश देना उचित समझते हैं। पक्षों को उच्च न्यायालय के समक्ष अपना-अपना पक्ष रखने की अनुमति दी जाएगी। यह अपीलकर्ता के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं की गैर धारणीयता के बारे में प्रचार करने के लिए खुला है। उच्च न्यायालय इससे उचित रूप से निपटेगा। इस बात को दोहराने की

आवश्यकता नहीं है कि उच्च न्यायालय 1999 में संशोधित विनियमन 33 (7) की चुनौती की जांच करेगा। इस न्यायालय द्वारा 21.4.2006 पर पारित अंतरिम आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा मामले का निपटारा नहीं कर दिया जाता। आदेश दिनांक 21.4.2006 द्वारा हमने निर्देश दिया था कि इस न्यायालय की अनुमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। उच्च न्यायालय के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान उस पहलू से निपटना उच्च न्यायालय का काम होगा। यह स्पष्ट कर दिया गया है की उच्च न्यायालय केवल प्रावधान की वैधता और रिट याचिका की पोषणीयता से संबन्धित मुद्दे से निपटेगा।

कुछ पक्षों ने इस अदालत के समक्ष हस्तक्षेप आवेदन दायर किए हैं इन आवेदनों को उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा। उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि आदेश प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर मामले का निपटारा किया जाए| पक्षकार हमारे आदेश को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाने के लिए स्वतंत्र हैं। इन अपीलों को आगे की सुनवाई के लिए दिसंबर, 2006 के पहले सप्ताह में रखें|

एच एन जे

मामला स्थगित कर दिया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।